कार्यालय जिलाधिकारी बाराबंकी।

(खनन अनुभाग)

संख्याः 1710 /ए0जे0ए0–2/DSR–ई–निविदा/2023 दिनांक– 20 अक्टूबर, 2023

ई–निविदा आमंत्रण हेतु सूचना (प्रेस विज्ञप्ति)

समस्त NABET/QCI Accredited Agencies को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 1659/86–2023, दिनांक 17.05.2023 के कम में जनपद बाराबंकी के जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित डी0एस0आर0 Updation/ Modification एवं नदी तल स्थित उपखनिज बालू/मोरम/बजरी/बोल्डर के क्षेत्रो की Replenishment Study हेतु साधारण बालू के कुल 09 क्षेत्रों, रकबा 47.5338है0 हेतु डी0एस0आर0 अपडेशन एंव रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु शासनादेश मे निर्धारित रू0–14514/–प्रति हे0 की दर से अधिक न हो के लिए ई–टेण्डरिंग के माध्यम से NABET/QCI Accredited Agencies चयन किये जाने हेतु दिनांक 25.10.2023 समय प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 01.11.2023 को सांय 05.00 बजे तक (07 कार्य दिवस हेतु) क्षेत्रो के लिए ई–निविदा पोर्टल etender.up.nic.in पर ई–निविदा आंमत्रित की जाती है जो दिनांक 03.11.2023को सायं 4.00 जिलाधिकारी बाराबंकी की अध्यक्षता मे गठित कमेटी द्वारा खोली जायेगी।

अतः इच्छुक समस्त NABET/QCI Accredited Agencies उपरोक्तानुसार टेंण्डर में प्रतिभाग कर अपने व्यय की निविदा उपरोक्त समयावधि के अन्दर टेण्डर पोर्टल पर अपलोड कर हार्ड कापी खनन कार्यालय, बाराबंकी में उपलब्ध कराये।

क्षेत्रो का विवरणः–

क0 सं0	जनपद	नदी का विवरण	डी0एस0आर0 में सम्मिलित Updation/ Modification/ Replenishment Study हेतु कुल क्षेत्र	कुल रकबा (हे0)
1	बाराबंकी	घाघरा नदी	07	34.9128
2		गोमती नदी	02	12.6210
		कुल योग	09	47.5338है0

ई–निविदा हेतु नियम व शर्ते।

1– फर्म/निकाय जो भारतीय नागरिक हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई–निविदा ऑन लाइन etender.up.nic.in पोर्टल पर प्रस्तुत कर सकता है।

2– निविदादाताओ को NABET/QCI Accredited Agencies के मान्यता प्राप्त प्रमाण–पत्र अपलोड करना आवश्यक है।

3– निविदादाताओं के पास शासकीय कार्यालयों में कम से कम 03 वर्ष का उक्त कार्य का अनुभव आवश्यक है।

4– निविदा के साथ जी0एस0टी0, पैन, आधार कार्ड संलग्न व अपलोड करना अनिवार्य है।

5– विगत 03 वर्ष का आई0टी0आर0 निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।

6– निविदा के साथ EMD के रूप मे रू0 14000/–की धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जिलाधिकारी बाराबंकी के पक्ष मे अपलोड करना तथा हार्ड कापी कार्यालय मे निविदा खुलने के निर्धारित समय पूर्व जमा करना आवश्यक है।

7– ई–निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अप्रतिदेय आवेदन शुल्क 1100/– के जमा का चालान की प्रति उपलब्ध/अपलोड करना।

8– निविदाताओ को ब्लैक सूची न डाले जाने के संबंध मे शपथ पत्र अपलोड/उपलब्ध करना अनिवार्य है।।

9– उक्त क्षेत्रो मे कार्य करने हेतु कार्यालय स्तर से कोई भी वाहन या अन्य रहने खाने इत्यादि की सुविधा उपलब्ध नही करायी जायेगी और न ही उक्त से सम्बन्धित कोई अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा।

10– निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत की गयी दरें समस्त करो सहित होनी चाहिये।

11– निविदादाता का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई–मेल एवं मोबाइल न0 (पता के प्रमाण स्वरूप व्यक्ति के लिए आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र तथा फर्म/कम्पनी/निकाय के लिए उनका पंजीकरण का विवरण) निविदा प्रपत्रो के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।

12– ई–निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अप्रतिदेय आवेदन शुल्क 1100/– के जमा का चालान की प्रति मूल अभिलेखो के साथ अपलोड करना व हार्ड कापी कार्यालय मे उपलब्ध कराना अनिवार्य होगें।

13– वांछित अभिलेखों तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई–टेण्डर के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

14– यदि निविदादाताओं द्वारा उल्लिखित वांछित अभिलेख/बैक ड्राफ्ट की प्रति ई–निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेख की मूल प्रति/प्रमाणित प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि दिनांक 03.11.2023 को समय प्रातः 10.00बजे से 01.00बजे तक न्यायालय अपर जिलाधिकारी, बाराबंकी के कक्ष में रखे बाक्स में जमा

करना होगा। जो दिनांक 03.11.2023 को सायं 4.00 जिलाधिकारी बाराबंकी की अध्यक्षता मे गठित कमेटी द्वारा खोली जायेगी।

15— ई–निविदा आमंत्रण की तिथि के अन्दर ई–टेण्डर पोर्टल http://etender.up.nic.in पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई–निविदा अपलोड की जायेगी।

16— यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में ई–टेण्डरिंग लागू किये जाने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है।

17— सफल निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा आदेश जारी किया जायेगा। उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफट को उसे वापस कर दिया जायेगा।

18— सफल निविदाताओ द्वारा उक्त कार्य निर्धारित समयान्तर्गत करना होगा, निर्धारित समय मे कार्य नही करने पर जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नही होगा।

19— जिलाधिकारी/निविदा समिति को कोई कारण बताये निविदा को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।

20— अन्य किसी जानकारी के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।

21— उक्त कार्य से संबंधित समस्त प्राधिकार जिला न्यायालय बाराबंकी मे ही मान्य होगें।

<u>चयनित निविदाता/NABET/QCI Accredited Agencies द्वारा Study Report तैयार करते हुए निम्न कार्य किये जाने है:–</u>

1— क्षेत्रों का डी0जी0पी0एस0 सर्वे एंव सीमांओ का कोआर्डिनेट्स प्राप्त करना।

2— प्रस्तावित क्षेत्र में कितना खनन क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध है, का विवरण मानचित्र पर प्रदर्शित करना।

3— प्रस्तावित क्षेत्र के स्वामित्व का विवरण।

4— वैज्ञानिक विधि से जियोलॉजिकल रिजर्व एंव खनन योग्य खनिज खनिज की मात्रा का आंकलन।

5— क्लस्टर रिपोर्ट तैयार करना।

6— खनन क्षेत्र के पंहुच मार्ग का विवरण मानचित्र पर प्रदर्शित करते हुए एंव पहुच मार्ग की भूमि के स्वामित्व का विवरण।

7— Enforcement and Monitoring guidelines for sand mining 2020 के संलग्नक I से VII में डी0एस0आर0 हेतु सूचना तैयार कर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना।

8— क्षेत्र विशेष हेतु यदि कोई सुरक्षा/सावधानियां/अन्य कार्य जो अपेक्षित होंगे तो उसका निस्तारण।

9— उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित NABET/QCI Accredited Agencies को खनन क्षेत्रों के कार्यो में अनुभव रखने वाला होना आवश्यक है।

20/10/23

(सत्येन्द्र कुमार)
जिलाधिकारी,
बाराबंकी

प्रतिप्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— सचिव, उ0प्र0 शासन, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2— निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखऊ।

3— आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।

4— प्रबन्ध निदेशक,यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, अशोक मार्ग, लखनऊ

5— निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, सूचना निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को 06 प्रतियों में सी0डी0 सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विज्ञप्ति का प्रकाशन, निःशुल्क जनपद बाराबंकी/लखनऊ के दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में कराने का कष्ट करे।

6— क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या।

7— जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बाराबंकी को जनपद की बेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

8— जि0सूचना अधि0,बाराबंकी को निःशुल्क विज्ञप्ति को दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराने का कष्ट करें।

9— समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, बाराबंकी को व्यापक प्रचार प्रसार कराने हेतु।

10— नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट, बाराबंकी को कलेक्ट्रेट सूचना पट पर चस्पा कराने हेतु।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailandra Kumar
Date: 2023.10.20 17:47:56 IST
Location: Uttar Pradesh

जिलाधिकारी,
बाराबंकी।